न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाष विष्नोई, आर.ए.एस.

223RTA2021-144Ju2021-43 Lrs or Nainaram ors Vs State of Rajasthan etc

---

1. नैनाराम उर्फ नैनसिंह पुत्र स्वर्गीय श्री प्रभुराम उर्फ प्रभुसिंह जाति रावणा राजपूत, निवासी– ग्राम हरडाणी तहसील बावडी जिला जोधपुर के कायम मुकामः–
   - 1.1. श्रीमती पप्पु कंवर पत्नि स्वर्गीय श्री नेनसिंह, निवासी हरडाणी तहसील बावडी जिला जोधपुर।
   - 1.2. समदरसिंह पंवार पुत्र स्वर्गीय श्री नैनसिंह, निवासी प्लोट नम्बर 106, नवदुर्गा नगर, झालामण्ड चौराहा, जोधपुर।
   - 1.3. श्रीमती सज्जन कंवर पुत्री स्वर्गीय श्री नेनसिह, पत्नि श्री मनोहरसिंह, निवासी 5–सी–31, कुडी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।
   - 1.4. श्रीमती कमला पुत्री स्वर्गीय श्री नेनसिंह, पत्नि श्री बलवंतसिंह चौहान, निवासी तैलियों का बास, तिंवरी जिला जोधपुर।
   - 1.5. सवाईसिंह पुत्र स्वर्गीय श्री नेनसिंह निवासी हरढाणी, तहसील बावडी जिला जोधपुर।
   - 1.6. मूलसिंह पंवार पुत्र स्वर्गीय श्री नैनसिंह निवासी 172–173, नवदुर्गा नगर झालामंड सर्कल, जोधपुर।
   - 1.7. भंवरसिंह पंवार पुत्र स्वर्गीय श्री नैनसिंह, निवासी हरढाणी तहसील बावडी जिला जोधपुर।
   - 1.8. श्रीमती शोभा कंवर पुत्री स्वर्गीय श्री नैनसिंह, पत्नि श्री मेघसिंह निवासी तिंवरी तहसील तिवरी जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स...

ब

ना

म

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, बावडी, जिला जोधपुर।
2. श्रीमति सुरजकंवर पत्नि श्री फतेहसिंह, जाति राजपुत, निवासी मंडोर पुलिस चौकी के सामने, बालसमद रोड, जोधपुर।
3. लुणाराम पुत्र श्री मोडाराम, जाति मेघवाल
4. लालुराम पुत्र श्री रिद्वाराम, जाति कुम्हार
5. सुखाराम पुत्र श्री रिद्वाराम, जाति कुम्हार
6. घेवरराम पुत्र श्री रिद्वाराम जाति कुम्हार
7. गोपाराम पुत्र श्री रिद्वाराम जाति कुम्हार
8. नेनाराम पुत्र श्री रिद्वाराम जाति कुम्हार
9. श्रीमति चुकी देवी पत्नि श्री लुम्बाराम, जाति कुम्हार
10. मांगीलाल पुत्र श्री लुम्बाराम जाति कुम्हार
11. रूपाराम पुत्र श्री लुम्बाराम, जाति कुम्हार
12. गणेशराम पुत्र श्री लुम्बाराम जाति कुम्हार
13. दुर्गाराम पुत्र श्री लुम्बाराम जाति कुम्हार
14. गिरधारीराम पुत्र श्री लुम्बाराम, जाति कुम्हार

15. गोमदराम पुत्र श्री लुम्बाराम जाति कुम्हार
16. चैनसिंह पुत्र श्री गुमानसिहं जाति राजपुत के कायम मुकाम
    16.1. श्रीमती गंगा पत्नि स्वर्गीय श्री चैनसिंह
    16.2. बजरंगसिह पुत्र स्वर्गीय श्री चैनसिंह
    16.3. रिछपालसिंह पुत्र स्वर्गीय श्री चैनसिंह
    16.4. जीवनसिह पुत्र स्वर्गीय श्री चैनसिंह
    16.5. अजमालसिंह पुत्र स्वर्गीय श्री चैनसिंह
    16.6. केशरसिंह पुत्र स्वर्गीय श्री चैनसिंह
    16.7. भंवरकंवर पुत्री स्वर्गीय श्री चैनसिंह
    16.8. लाडु कंवर पुत्री स्वर्गीय श्री चैनसिंह
    16.9. सुप्यार कंवर पुत्री स्वर्गीय श्री चैनसिंह

प्रत्यर्थी संख्या 3 से 16 तक सभी निवासीगण ग्राम हरढाणी तहसील बावड़ी जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय सहायक कलेक्टर जोधपुर दिनांक 19 फरवरी 2021 राजस्व वाद संख्या 106/2015 नेनाराम बनाम राजस्थान राज्य इत्यादि

———— 0 ————

उपस्थित–

श्री प्रकाष भाटी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01
श्री बाबुलाल विष्नोई, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 02
श्री भवानीसिंह अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 16/1 से 16/9

नि र्ण य

दिनांक : 23 अप्रैल 2025

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर बावड़ी द्वारा राजस्व वाद संख्या 106/2015 नेनाराम बनाम राजस्थान राज्य इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 19 फरवरी 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत 17 मार्च 2021 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/वादी ने विचारण न्यायालय के समक्ष ग्राम हरढाणी तहसील बावडी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 16/3 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी प्रथम एवं खसरा नं 16/5 रकबा 2 बीघा किस्म बारानी द्वितीय कुल कुल 17 बीघा के संबंध में एक वाद बाबत बेदखली एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेष किया गया। उपरोक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 16 की तरफ से आदेष 07 नियम 11

सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेष किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वादी/अपीलार्थी का वाद खारिज कर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया, जिसके विरूद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालस द्वारा पारित निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध अभिवचनों एवं दस्तावेजी साक्ष्य के विरुद्ध होने अपास्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते वक्त विधि के प्रावधानों के नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो आपेक्षित आदेश पारित किया है, वह रिजनिंग एवं स्पीकिंग आदेश नहीं है एवं न ही रिजनिंग एवं स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में आता है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का एक भी कारण नहीं बतलाया है एवं न ही स्वीकार किये जाने के कारणों का उल्लेख किया है। अपीलार्थीगण ने विस्तृत आधारों पर प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया है, जिसको बिल्कुल अनदेखा करते हुए आपेक्षित आदेश पारित किया है। इस कारण आपेक्षित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। प्रत्यर्थी संख्या 16 ने प्रार्थना पत्र में एक आधार लिया कि अपीलार्थीगण को कोई वाद हेतुक उत्पन्न नहीं हुआ है, जबकि अपीलार्थीगण के वाद के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण को वाद हेतुक उत्पन्न हुआ है। अपीलार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि पर प्रत्यर्थीगण ने अवैध कब्जा कर रखा है जो कि अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। अपीलार्थीगण को कब कब वाद हेतुक उत्पन्न हुआ है, इस बाबत वाद में स्पष्ट उल्लेख किया है एवं वाद हेतुक के तथ्यों को पूर्णतया नजरअंदाज करते हुए आपेक्षित आदेश पारित किया है। अपीलार्थीगण को वाद हेतुक उत्पन्न हुआ है या नहीं, इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय को केवल अपीलार्थीगण के वाद का अवलोकन करना चाहिए था एवं वाद हेतुक बाबत प्रत्यर्थी सख्या 16 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को इस स्तर पर कतई नहीं देखा जा सकता है। वाद हेतुक का तथ्य तनकियात कायम की जाकर दोनों पक्षों की साक्ष्य लेखबद्ध किये जाने के बाद ही तय किया जा सकता है। अपीलार्थीगण के वाद से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण को वाद हेतुक उत्पन्न हुआ है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थीगण को वाद हेतुक उत्पन्न हुआ है या नहीं, इस बाबत विद्ववान अधीनस्थ न्यायालय ने आपेक्षित आदेश में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया है। इस कारण अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

प्रत्यर्थी संख्या 16 ने दूसरा कारण यह बताया कि अपीलार्थीगण का उक्त वाद विधि द्वारा बाधित है, यानी बार्ड बाई लॉ है। अपीलार्थीगण के वाद के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण का वाद किसी भी दृष्टि से बार्ड बाई लॉ नहीं है। अपीलार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि पर प्रत्यर्थीगण ने अवैध कब्जा कर रखा है जो कि अतिक्रमण की श्रेणी में आता है एवं ऐसे वाद को सुनवाई का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार केवल राजस्व न्यायालय को प्राप्त है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों को पूर्णतया नजरअंदाज करते हुए आपेक्षित आदेश पारित किया है। अपीलार्थीगण का वाद विधि द्वारा बाधित है या नही, इस बाबत भी विचारण न्यायालय ने आपेक्षित आदेश में कोई कारण उल्लेख नहीं किया है। इस कारण भी अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण ने वाद में बेदखली, कब्जा प्राप्ति एवं स्थाई निषेधाज्ञा की राहत चाहीं है, जो कि राजस्थान का काष्तकारी अधिनियम के तहत कृषि भूमि के बारे में बेदखली, कब्जा प्राप्ति एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है जो कि धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 से पूर्णतया स्पष्ट है। धारा 183 व 188 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम के तहत उक्त वाद प्रस्तुत किया है एवं उक्त वाद में चाही गई राहत विचारण न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है। विचारण न्यायालय ने धारा 207, 183 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अवलोकन किये बिना ही प्रश्नगत निर्णय पारित किया है जो कतई विधि सम्मत निर्णय नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्तों के अनुसार, आदेश 07 नियम 11 सी पी सी के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय केवल वाद में किये गये अभिकथनों को पढ़ा व देखा जाना चाहिए एवं वाद में वर्णित अभिकथनों के आधार पर ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 07 नियम 11 सी पी सी का निस्तारण किया जाना चाहिए था। प्रत्यर्थी संख्या 16 ने प्रार्थना पत्र में जो तथ्य वर्णित किये है, उन तथ्यों में से एक भी तथ्य अपीलार्थीगण ने अपने वाद में वर्णित नहीं किये है। अपीलार्थीगण के वाद में वाद हेतुक प्रकट होता है। वादीगण ने नियत स्टाम्प पर वाद पेश किया है। अपीलार्थीगण का वाद किसी भी विधि द्वारा बाधित नहीं है। इस प्रकार अपीलार्थीगण द्वारा अपने वाद में किये गये अभिवचनों के अनुसार प्रत्यर्थी संख्या 16 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र किसी भी दृ ष्टि से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने के कारण, प्रत्यर्थी संख्या 16 का प्रार्थना पत्र हर दृष्टि से खारिज किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07

नियम 11 सी पी सी का स्पष्ट जवाब प्रस्तुत किया था। विचारण न्यायालय उक्त जवाब को पूर्णतया नजरअदांज करते हुए आपेक्षित आदेश पारित किया है। अपीलार्थीगण ने अपने जवाब में स्पष्ट कथन किया कि, अपीलार्थीगण ने वाद विधि अनुसार प्रस्तुत किया है. बाद में वाद हेतुक पैदा होता है एवं उक्त बाद किसी भी विधि द्वारा वर्जित नहीं है य आदेश 07 नियम 11 सी पी सी के प्रावधान लागू नहीं होते हैं. इसके बावजूद अपीलार्थीगण के जवाब को पूर्णतया अनदेखा करते हुए, आक्षेपित निर्णय पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बावडी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 106/2015 नैनाराम बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 19 फरवरी .2021 को अपास्त किया जावे एवं प्रत्यर्थी संख्या 16 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी पी सी को खारिज फरमाया जावे एवं वाद को विधि अनुसार निस्तारण किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलार्थीगण द्वारा वाद गलत आधारों पर पेष किया गया। रेस्पो. की ओर से अपीलार्थीगण की भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया गया है। अपीलांट्स द्वारा वादकरण का कारण गलत बताया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी/रेस्पो. की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेष 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार करते हुए वादी/अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत वाद विधि से बाधित पाये जाने से विधिसम्मत रूप से खारिज किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता–रेस्पो. ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया ।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन मुताबिक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 16 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेष 11 नियम 7 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर किसी प्रकार का कोई कारण न दर्षाते हुए नॉन

स्पीकिंग आदेष के जरिये खारिज किया जाना पाया जाता है। प्रतिवादी संख्या 16 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेष 07 नियम 11 में कथन है कि वादी के वाद में वादकरण पैदा ही नहीं हुआ है। प्रतिवादी के उक्त कथन का निस्तारण वाद में जरिये साक्ष्य तय होना है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमण किया गया है अथवा नहीं, इस तथ्य का भी वाद में जरिये साक्ष्य तय होना है।

आदेष 07 नियम 11 में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि न्यायालय द्वारा वाद पत्र को आदेष 7 नियम 11 पर खारिज किया जाता है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेष 7 नियम 11 पर निर्णय से पहले कानूनी विवाद्यक कायम किया जावे तथा उभय पक्ष को उक्त विवाद्यक के समर्थन में साक्ष्य सबूत का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर स्पीकिंग एवं विधिसम्मत निर्णय किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 16 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेष 11 नियम 7 सीपीसी पर वाद विचारण प्रक्रिया के तहत बिना तनकीयात कायम किये तथा वादी का सुनवाई का अवसर प्रदान वाद खारिज किया जाना पाया जाता है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आलोक में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय सहायक कलेक्टर बावड़ी द्वारा राजस्व वाद संख्या 106/2015 नेनाराम बनाम राजस्थान राज्य इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 19 फरवरी 2021 खारिज किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देष के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मामले में वाद विचारण की प्रक्रिया की पालना करते हुए उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए मूल वाद का गुणावगुण पर विधिसम्मत निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाष विष्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर